Serial Number and date of order. 1	Order and signature of officer 2	Note or action taken on order with date 3
25/10/19	जमाबंदी रद्दीकरण 48/2019 प्रथम पक्ष 1. मृत्युंजय प्र0 सिंह पे0 स्व0 हरदेव सिंह सा0–धबौली, अंचल–पतरघट, जिला–सहरसा बनाम द्वितीय पक्ष 1. बच्चे यादव पे0 स्व0 शिव प्र0 यादव 2. श्यामल यादव पे0 स्व0 शिव प्र0 यादव ग्राम –केशवपुर, अंचल–पतरघट, जिला–सहरसा ..... प्रतिपक्षी प्रथम सेट 3. अंचल अधिकारी, पतरघट..... प्रतिपक्षी द्वितीय सेट आदेश प्रस्तुत जमाबंदी रद्दीकरण वाद आवेदक के द्वारा बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा 9 के अंतर्गत विपक्षी द्वितीय सेट अंचल अधिकारी, पतरघट द्वारा सृजित जमाबंदी सं0 4797 के रद्दीकरण हेतु इस न्यायालय में दायर किया गया है। प्रश्नगत जमीन का विवरण निम्न प्रकार है–	

मौजा	थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा (एकड़ में)
धबौली	138	2145	11273, 11274	0.6925
		2961	11266	
		2144	11271	
		2144	11272	
		2144	11265	

आवेदक का कथन है वाद में वर्णित जमीन उनकी खरीदगी है एवं रिविजनल सर्वे में भी उक्त जमीन आवेदक के पिता हरदेव सिंह के नाम दर्ज है। जिसमें से प्रतिपक्षी ने आवेदक के नाम से चल रही जमाबंदी सं0 2961 कुल जमीन 2.15 एकड में से दाखिल खारिज वाद सं0 3115/13 एवं 3130/13–14 के द्वारा 0.13 डिसमल जमीन का अवैध रूप से अंचल कर्मी को मेल में लाकर जमाबंदी सं0 4797 सृजित करा लिया है, जबकि उक्त जमीन का कोई भी अंश न तो उन्होंने और न ही उनके परिवार के लोगों ने कभी बेचा है। आवेदक का पुनः कथन है कि वर्णित जमाबंदी के सृजन के दौरान कभी किसी प्रकार की सूचना आवेदक को नहीं दी गयी थी। इनका आगे कथन है कि आवेदक के नाम से सृजित रिविजनल सर्वे खाता सं0 2144 खेसरा 11265 से 13 डिसमल जमीन प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष के द्वारा खारिज कराकर जमाबंदी सं0 4797 का सृजन किया गया है।

आवेदक ने अपने आवेदन के साथ अंचल कार्यालय में संधारित दाखिल खारिज वाद सं0 3130/13–14 की प्रति दाखिल की है।

Serial Number and date of order.	Order and signature of officer	Note or action taken on order with date
1	2	3

प्रश्नगत मामले में प्रतिपक्षी को साधारण डाक तथा निबंधित डाक से सूचना की प्रति उपलब्ध कराई गई, परंतु वे न्यायालय में हाजिर नहीं हुए। फलस्वरूप वाद की सुनवाई गुण–दोष के आधार पर की गई है। आदेश फलक में वर्णित है कि प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष बच्चू यादव एवं श्यामलाल यादव को निबंधित केवाला सं0 5842/15.04.71 नविस्ते हरीशचन्द्र सिंह पिता मुक्तेश्वर सिंह से खरीदगी है। जब वाद के साथ संलग्न निबंधित केवाला दस्तावेज का अवलोकन किया तो पाया कि उक्त केवाला का निष्पादन श्री वृजनन्दन सिंह पिता ब्रहमदेव सिंह के द्वारा दि0 31.01.2003 को केवाला सं0 1483 के द्वारा किया गया है।

आवेदक के द्वारा अपने पूर्वजों का वंशवृक्ष भी दाखिल किया गया है। जिसके अनुसार श्री वृजनन्दन सिंह खतियानी रैयत के खानदान से कहीं नहीं आते है। प्रस्तुत वंश वृक्ष निम्न प्रकार है–

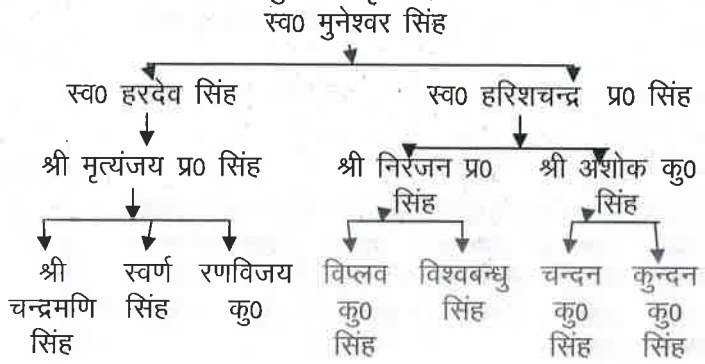

संलग्न खतियान के अवलोकन से खाता सं0 2961 खेसरा 11265 का रिविजनल सर्वे खतियान हरदेव सिंह पिता मुनेश्वर सिंह के नाम दर्ज है। उक्त खाता में 02 खेसरा सन्निहित है। खेसरा 11265 रकवा 01 एक ड़ 41 डिसमल, खेसरा 11347 रकवा 74 डिसमल कुल 02 एकड़ 15 डिसमल दर्ज है।

उपरोक्त विवेचन तथा संलग्न कागजातों से निम्नांकित तथ्य प्रकाश में आते हैं–

1. रिविजनल सर्वे खतियान आवेदक के दादा स्व0 हरदेव के नाम से दर्ज है तथा प्रतिपक्षी के विक्रेता स्व0 हरदेव के उत्तराधिकारी नहीं है।
2. दाखिल खारिज वाद सं0 3130/13–14 एवं 3115/13–14 में प्रतिपक्षी के नाम नामांतरण की स्वीकृति में न तो खतियानी रैयत और न ही उनके उत्तराधिकारियों को ही सूचना दी गई।
3. दाखिल खारिज वाद में निष्पादन में हल्का कर्मचारी का प्रतिवेदन भी दोषपूर्ण है, क्योंकि प्रतिपक्षी के नाम जमीन की बिक्री वृजनन्दन सिंह तथा विजय कु0 सिंह के द्वारा की गई है जबकि जॉच प्रतिवेदन में हरिशचन्द्र सिंह का नाम वर्णित है।
4. प्रतिपक्षीगण के द्वारा जमीन 2002 एवं 2003 में क्रय की गई, जबकि 2012–13 में भी आवेदकगण के नाम 02 एकड़ 15 डिसमल का लगान रसीद निर्गत है, जिसका रसीद संख्या 469838 है।

Serial Number and date of order.	Order and signature of officer	Note or action taken on order with date
1	2	3

इस प्रकार प्रश्नगत मामले में प्रतिपक्षी के नाम जमाबंदी का सृजन बिहार दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 तथा उसके अधीन गठित नियमावली, 2012 में विहित प्रावधानों के विपरीत की गई है। जिसे वैध नहीं माना जा सकता। फलस्वरूप इसे रद्द किया जाता है। अंचलाधिकारी, पतरघट को आदेश दिया जाता है कि वे आवेदक के नाम सृजित जमाबंदी सं0 2961 से घटाया गया 13 डिसमल रकवा पुनः वापस उक्त जमाबंदी में जोड़ना सुनिश्चित करें। उक्त आलोक में वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

पक्षकार अपना–अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

25/11/19

अपर समाहर्ता,
सहरसा

25/11/19

अपर समाहर्ता,
सहरसा